न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी गौरव बुडानिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **67/19** दायर दिनांक– **01.11.2019** निर्णय दिनांक– **24.07.2023**

उनवान

श्यामसुन्दर पुत्र भंवर लाल ब्राह्मण सुलतानिया निवासी उम्मेदसागर चौराहा वार्ड नं0 08 भीलवाड़ा रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र घनश्याम ब्राह्मण निवासी उम्मेदसागर चौराहा वार्ड नं0 08 भीलवाड़ा रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. मोना उर्फ मिनाक्षी पुत्री घनश्याम पत्नी अनुराग गोतम निवासी इम्मानुएल स्कूल की गली, मोतीबाग रोड़ बड़ा कुआ के पास जिला टोंक
3. अंजू पुत्री घनश्याम पत्नी विष्णु कुमार शर्मा निवासी सरसरी गेट केकड़ी जिला अजमेर
4. जितेन्द्र पुत्र मुकुट बिहारी ब्राह्मण निवासी उम्मेदसागर चौराहा वार्ड नं0 08 भीलवाड़ा रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. नवनीत पुत्र मुकुट बिहारी ब्राह्मण (मानसिक विकलांग) जरिए माता अरूणा देवी पत्नी मुकुट बिहारी ब्राह्मण निवासी उम्मेदसागर चौराहा वार्ड नं0 08 भीलवाड़ा रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. अनिता पुत्री मुकुट बिहारी ब्राह्मण पत्नी हरिशंकर ब्राह्मण निवासी सुभाष नगर एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाड़ा
7. अरूणा पत्नी मुकुट बिहारी ब्राह्मण निवासी उम्मेदसागर चौराहा वार्ड नं0 08 भीलवाड़ा रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8. रामकृष्ण पुत्र भंवर लाल ब्राह्मण निवासी 1 जी 13 शास्त्री नगर भीलवाड़ा
9. पुष्पा देवी पुत्री भंवर लाल पत्नी उमा शंकर शर्मा निवासी पालड़ी रोड़ बाबारामदेव मंदिर के पास भीलवाड़ा
10. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र कराये जाने विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 एक ही परिवार के सदस्य होकर सजरा निम्न प्रकार है।

स्व. भंवर लाल

1–स्व. घनश्याम
- 1– देवेन्द्र कुमार–पुत्र
- 2– अंजू– पुत्री
- 3– मोना(मिनाक्षी)पुत्री

2–मुकुट बिहारी
- 1–अरूणा देवी–पत्नी
- 2–अनिता – पुत्री
- 3–नवनीत– पुत्र
- 4–जितेन्द्र– पुत्र

3–रामकृष्ण (प्रतिवादी सं08)

4–श्यामसुन्दर– वादी

5–पुष्पा देवी(प्रतिवादी सं. 09)

कस्बा शाहपुरा तहसील शाहपुरा में भंवर लाल के समय से ही आराजी खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.5700 है0 स्थित होकर भंवर लाल के स्वर्गवास एवं घनश्याम तथा मुकुट बिहारी के स्वर्गवास के पश्चात यह कृषि भूमि विरासत से भंवर लाल के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 09 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। कृषि भूमि का विभागन माप–परिमाप पद्धति के आधार पर नहीं होकर कृषि भूमि अविभाजित संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 के कब्जे एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वाद पत्र के पैरा सं0 02 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 09 के नाम

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

दर्ज होकर संयुक्त रूप से पुश्तेनी होने के कारण हिस्सा निहित है। वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 लगायत 07 का 1/5 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं0 08 का 1/5 व प्रतिवादी सं0 09 का 1/5 हिस्सा निहित है। वादी ने प्रतिवादीगणों को अनेक दफा उपरोक्त अनुसार विभाजन कर राजस्व अभिलेख में अंकित अनुसार खाता अलग–अलग करा मौके पर अपने–अपने हिस्से का कब्जा लेने हेतु कहा तो प्रतिवादीगणों ने कोई ध्यान नहीं दिया एवं प्रतिवादी सं. 04 ने दिनांक 15.09.2019 को विभाजन कराने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया इसलिए यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र के पैरा सं0 02 में वर्णित आराजी सं. 1779 रकबा 0.5700 है0 कृषि भूमि का माप परिमाप पद्धति के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगणों के हिस्से अलग किये जाकर वादी के हिस्से की 1/5 भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में भी वादी का हिस्सा वादी के नाम अलग से दर्ज किया जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित फरमाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10. 12.2019 को प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4, 5, 7 की ओर से अभिभाषक श्री चावण्ड सिंह द्वारा अण्डर टेकिंग ली गयी। दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादीगण सं0 6, 9, 10 के बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 22.02.2021 को प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4, 5 व 7 की ओर से अभिभाषक द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 17.03.2021 को प्रतिवादी सं0 8 की रजिस्टर्ड ए0डी0 रसीद प्राप्त हुई किन्तु प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 04.04.2023 को प्रतिवादी सं0 3 की रजिस्टर्ड ए0डी0 प्राप्त होने बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। एवं प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 12.06.2023 को अभिभाषक वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.07.2023 को दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये जाकर बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र को अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम शाहपुरा संवत् 2076 से 79 खाता संख्या 1069 से वाद पत्र की पुष्टी होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 09 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 1779 रकबा 0.5700 है0 कुल किता 1 रकबा 0.5700 है0 में वादी के 1/5 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्श ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/– रूपये कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित फोटोप्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव बुडानिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.